# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
**पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,** आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 59 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/55)
**पंजीयन दिनांक**– 11.02.2021
**निर्णय दिनांक**– 29.09.2021

1. श्री शांतिलाल पिता हजारी धाकड, निवासी बलवंतनगर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री लाभचन्द्र पिता घीसालाल धाकड, निवासी बलवंतनगर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

**बनाम**

1. श्री नटवरलाल पिता कन्हैयालाल धाकड, निवासी बलवंतनगर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री बाबूलाल पिता कन्हैयालाल धाकड, निवासी बलवंतनगर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या
10 / 2016 (रा.प्रा.प.) निर्णय दिनांक 03.02.2017

<u>निर्णय</u>

दिनांक 29.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 10 / 2016 (रा.प्रा.प.) निर्णय

दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध दिनांक 23.03.2017 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 24.12.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449—50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स को मौजा ग्राम बलबंतनगर, तहसील बेगूं की आराजी नम्बर 1648 में से रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ सलाहकार समिति की राय के अनुसार मिसल नम्बर 440/1992 से दिनांक 15.06.1992 को किया गया। इस भू—आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू—राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 10/2016 (रा.प्रा.प.) निर्णय दिनांक 03.02.2017 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.02.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— **"विपक्षी को आवंटित आराजी नम्बर 1648 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने की स्थिति में नियम 14(4) के तहत भू—आवंटन खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। आवंटन मिथ्या कथन, छल कटप से कराया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नही है। इस प्रकार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन विधिपूर्वक सलाहकार समिति की राय के अनुसार किया गया है। आवंटन खारिज करने का कोई विकल्प नही रहता। वकील प्रार्थी ने मात्र काल्पनिक आधार पर ही तथ्य प्रकट किए है। अतः प्रार्थी का**

निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी को ग्राम बलवंतनगर, तहसील बेगूं की आराजी नम्बर 1648 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1992 को पूर्णतः यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि यह भूमि आवंटन योग्य नही थी। क्योंकि यह पहले से ही साबिक भू–प्रबंध की आराजी संख्या 1880 होकर इसमें से 1 बीघा 2 बिस्वा रकबा जरिये मिसल नम्बर 87 दिनांक 15.10.1968 से हमारे बुजुर्ग हेमा, देवीलाल, हजारी पिता वरदीचन्द्र धाकड के नाम नियमन हो चुकी थी। जिसका इंतकाल संख्या 357 दिनांक 30.06.1972 को प्रमाणित हुआ किन्तु सेटलमेंट की कार्यवाही जारी होने से रेकार्ड में अमल दरामद नही हुआ किन्तु कब्जा आज दिनांक तक हमारे परिवार का ही चला आ रहा है। जिसे लगभग 48 वर्ष हो चुके है। भू–आवंटन का आदेश तथ्यों को छिपा कर धोखे से कराया गया है। इसमें पटवारी की मिलीभगत इससे ही स्पष्ट है कि आवंटन हेतु फार्म भी पटवारी हल्का से भरवाया गया और रिपोर्ट भी उसी के द्वारा की गई जो हस्तलिपि से ही साफ है। आवंटन फार्म की प्रविष्टियां भी सही नही होकर अधूरी व अस्पष्ट है। दर्शित रिपोर्ट में रेकार्ड अनुसार प्रार्थी को भूमिहीन नही माना गया है। इसके विपरीत उसके जाहिर करने से उसे भूमिहीन मान लिया जो आश्चर्यजनक है। इससे स्पष्ट है कि

सभी प्रक्रिया ही अवैधानिक है। भूमि किस्म बाडा होकर हमारी नियमशुदा है। जिसे पुनः आवंटन करने का प्रश्न ही नही है। पटवारी रिपोर्ट में भी किस्म बाडा अंकित है जिसे बाद में आवंटन आदेश बंजड दर्ज कर दिया है, जो गलत है। किस्म बाडा अंकित होने का अर्थ भी यही है कि यह आवंटन योग्य नही थी। इस प्रकरण में शुरू से अंत तक फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेंटेशन हुआ है। रेस्पोडेंट नटवरलाल ने खातेदारी हेतु आवेदन किया जिसमें अपना कब्जा व आवंटन सन् 1978 से बताया है जबकि आवंटन ही सन् 1992 में होना बताया है। आवंटी कन्हैयालाल के नाम जो नामांतरण हुआ उसमे आई. एल. आर. ने स्पष्ट अंकित किया है कि किस्म जमीन गै. मु. बाडा है जिस पर तहसीलदार ने भी अंकित किया है कि भूमि काश्त योग्य न होकर बाडा हो तो रेकार्ड की नकले मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें। जिस पर आवंटन निरस्त करने हेतु रिवीजन पेश की जा सके, पर पटवारी की मिलीभगत से कोई कार्यवाही नही हुई जबकि मौके पर बाडा होकर हमारे कब्जे में है और काश्त का प्रश्न ही नही है। फिर भी मिलीभगत से बिना किसी जांच के रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत खातेदारी भी दे दी गई जो पूर्णतया नल एण्ड वोईड है। मिलान खसरा सेटलमेंट में भी हमारे बुजुर्गो का नाम अंकित है। सिर्फ 0.04 पर रेस्पोडेंट्स के पिता कन्हैयालाल व उसके भाई चुन्नीलाल को ट्रेसपासर बता दिया और हमारा रेकार्ड में नाम होते हुए भरी पूरी आराजी कन्हैयालाल के नाम आंवटित कर दी जो निरस्त योग्य है। उपरोक्त अनुसार रेकार्ड पर तथ्यों के आधार पर यह भू–आवंटन धोखे से तथ्यों को छिपा कराया गया है जबकि आराजी 48 वर्ष से हमारे परिवार के कब्जे में है जिससे यह आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 03.02.2017 से पारित

निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 के पिता श्री कन्हैयालाल को ग्राम काटुण्डा में आवंटित आराजी संख्या 1648 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन विभिन्न आधारों पर प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रमुख आधार विवादित भूमि पर उनका कब्जा होना, भूमि किस्म बाड़ा होना व आवंटन आवेदन में तकनीकी कमियां होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.02.2017 से अपीलाण्ट आवेदकगण का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन निरस्त कर दिया जिससे रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अंदर मियाद इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपीलाण्ट का प्रथम उज्र यह है कि भू–आवंटन पटवारी की मिलीभगत से किया जाना प्रकट है क्योंकि भू–आवंटन का आवेदन भी पटवारी की हस्तलिपि में भरा हुआ है एवं उस तथ्यात्मक रिपोर्ट पर उसी पटवारी द्वारा किया जाना मामले को संदिग्ध बनाता है। अपीलाण्ट का यह उज्र समायत योग्य नहीं है क्योंकि पटवारी की ही हस्तलिपि हो, इस हेतु कोई प्रामाणित साक्ष्य नहीं है एवं यदि पटवारी ने आवेदन भरने में सहायता की हो तो इससे आवेदन एवं आवंटन की वैधानिकता समाप्त नहीं हो जाती। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि विपक्षी के पिता कन्हैयालाल भूमिहीन नहीं होकर आवंटन के पात्र नहीं थे, परन्तु इस हेतु अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है जिससे भी अपीलाण्ट का उज्र मान्य नहीं है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि साबिक सेटलमेंट की आराजी नं0 1880 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा उनके पूर्वजों को वर्ष 1968 में मिसल नं0 87 से आवंटित हुई थी जिसका इंतकाल 1992 में प्रमाणित हुआ। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड के आधार पर यह वर्णित किया है,

जो प्रमाणित भी होता है कि साबिक आराजी नं0 1880 का रकबा 33 बीघा 7 बिस्वा था। इस रकबे में से एक बीघा भूमि वर्ष 1968 में हेमा, देवीलाल, हजारी पिता वीदीचंद को आवंटन होना प्रतीत होता है। पुराने आराजी नं0 1880 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में से एक बीघा भूमि वर्ष 1968 में अपीलाण्ट आवेदक के पूर्वजों को आवंटित हुई व शेष रकबा में से वर्ष 1992 में विपक्षी रेस्पोंडेण्ट के पूर्वजों को आवंटन हुआ। नामान्तकरण संख्या 357 के अनुसार यानि अपीलाण्ट के पूर्वजों को भूमि आवंटन के बाद शेष भूमि बिलानाम ही दर्ज थी। अपीलाण्ट भूमि पर अपना कब्जा होना बताते हैं परन्तु कब्जा उनका होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों व रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि में से कुछ भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों को आवंटित हुई थी, जो भू–प्रबंध के पूर्व हुई थी तथा भू–प्रबंध के बाद उसी आराजी में से शेष बची आराजी में से कुछ रकबा रेस्पोंडेण्ट आवंटी को आवंटन हुआ है। अपीलाण्ट का अन्य प्रमुख उज्र यह है कि पटवारी हल्का ने भी भूमि की किस्म बाड़ा माना है, यह सर्वाधिक विवाद का बिन्दु है। देखने रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट के पूर्वजों को जब भूमि आवंटन हुई तब तो वह उचित मानता है परन्तु रेस्पोंडेण्ट के पूर्वज कन्हैयालाल को भूमि आवंटन के समय उसे बाड़ा मानता है। यदि हम रेकर्ड का अवलोकन करें तो यह पाते हैं कि आवेदन में भूमि की किस्म बंजड़ लिखी हुई है, पटवारी हल्का ने जो कब्जा दिया है, उसमें किस्म बाड़ा अंकित है तथा आवंटन आदेश में भूमि की किस्म बंजड़ लिखी हुई है। जहां तक विपक्षी रेस्पोंडेण्ट को आवंटन के समय भूमि की किस्म बाड़ा के बाबत् गिरदावर के अंकन का प्रश्न है, तहसीलदार ने यह अंकन किया है कि यदि भूमि काश्त योग्य नहीं हो तो रेकर्ड की नकले मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्ष 1992 में तहसीलदार द्वारा इस अंकन के बाद उक्त भूमि को नाकाबिल काश्त

होने बाबत् कोई अंकन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा खसरा सम्वत् 2023 प्रस्तुत किया है, उसमें भी आराजी नं0 1648 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की किस्म बाड़ा अंकित है परन्तु भूमि वर्गीकरण में उसे बाड़ा अंकित नहीं किया गया है। साबिक आराजी नं0 1880 जिसमें से अपीलाण्ट के पूर्वजों को भूमि आवंटित हुई है, जो नामान्तकरण संख्या 357 से प्रविष्ठ है, उसमें भूमि की किस्म बाड़ा अंकित नहीं है, तद्नुसार मुख्य रूप से भूमि की किस्म बाड़ा होना पूर्णतया प्रमाणित नहीं है तथा यदि भूमि किस्म बाड़ा भी है तो वह काबिल काश्त नहीं है, ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं आया है तथा तहसीलदार के 1992 में दिये गये निर्देशों के बाद अपीलाण्ट द्वारा 2016 यानि 24 वर्षों तक राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त होना माना है तथा इस दौरान भूमि में निःसंदेह काश्त हुई होगी। इसी कारण रेस्पोंडेण्ट को खातेदारी अधिकार भी मिल गये है, तद्नुसार भूमि की किस्म बाड़ा एवं नाकाबिल काश्त माने जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि विवादित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं रहा व काबिज के रूप में अपीलाण्ट के पूर्वजों का नाम अंकित था। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा होने एवं उनके द्वारा इस भूमि का आवंटन आवेदन अथवा नियमन आवेदन किये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट ने अन्य तथ्य यह लिखा है कि खातेदारी अधिकार हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया, उसमें भी तथ्यों को छिपाया और आवंटन वर्ष 1978 से बताया है जबकि आवंटन वर्ष 1992 में किया गया है। यह आवंटन निरस्तीकरण किये जाने के लिए कोई सारभूत तथ्य नहीं है, इसे लिपिकीय त्रुटि ही माना जाना चाहिये। अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिये गये हैं जिससे आवंटन **Froud and Misrepresentation** से प्राप्त किया जाना प्रमाणित हो अथवा रेस्पोंडेण्ट आवंटी आवंटन की पात्रता नहीं रखता हो।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का रेस्पोंडेण्ट को किये गये आवंटन को निरस्तीकरण का आवेदन जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन को निरस्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर